मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-6/2010/नियम/चार
भोपाल, दिनांक ॐ अक्टूबर, 2010

प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्यालियर,
समस्त संभागीय आयुक,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता पुंगतान बावजूद ।

***
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन परिवर्तन के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8/2009 /नियम/चार, दिनांक 20 दिसंबर, 2009 द्वारा निर्देश जारी किए गये हैं इस निर्देश के पारा-2 (क) के अनुसार वेतन परिवर्तन की गणना, पुनरीक्षण वेतनमान में देय वेतन+ग्रेड पे में से पूर्व में भुगतान किये गये वेतन, मंगाई वेतन रजिस्तान भत्ता का समायोजन करते हुए की जानी है । अतः इन राशियों के अंतरिक्ष नियमानुसार भुगतान की गई अन्य राशियों (यथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता) का भी यदि देय परिवर्तन में समायोजन किया गया है तब उन प्रकरण में संचालित शासकीय संस्थानों को यह राशि भुगतान हेतु आवश्यक कार्यावधारी की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अधिवेशन के राय)
संविधा
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
1. राज्यपाल राज्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. सिनेफक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य सचिव प्रशासनी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. राजस्वा, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महाविद्यालय / उप महाविद्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर।
12. महाविद्यालय (लेखा और हंदेदरी / आडा) -1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल।
13. अध्यात्म व्यवसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसमक्ष संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. निवेदक शासनिक केंद्रीय मुख्यालय, भोपाल की और राज्यपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अध्यात्म, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वायत्त शाखा/अधिकृत शाखा/अधिलेख/)
18. मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल।
19. पुलिस सचिव के बाकी अधिकारियों मंत्रालय, भोपाल।
20. समस्त राज्यव्यवस्था राज्यव्यवस्था संचालन, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्रावधान, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश।
22. संयुक्त संचालन, जनसेवन प्रकृतित, मंत्रालय, भोपाल।
23. अध्यातं, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कर्त्यालय संस्थान कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल।
24. अध्यात्म, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संयोजन
25. सभी कार्यालय अधिकारी / उप कार्यालय अधिकारी।
26. गार्ड फाइल।

को और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यचारी के लिए अप्रौंपत।

(वोइन्द्र कुमार)
अध्यात्म सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।